तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 33/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00101) बअनवान मंगलाराम बनाम आसूराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर. ए. एस.)

मंगलाराम

बनाम

आसूराम इत्यादि

उपस्थित

1. श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 04

आदेश

दिनांक 03.03.2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 28/2018 अनवान मंगलाराम बनाम आसूराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 28 जनवरी 2019 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 01 अप्रैल 2019 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 823 रकबा 13.15 बीघा वादी के दादा स्व. देवचंदजी की खातेदारी की भूमि रहने से अपीलांट की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है, जिसमें अपीलांट का जन्म से ही हक-हिस्सा निहित है। इसलिए

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 33/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00101) बअनवान मंगलाराम बनाम आसूराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रथमदृष्टया मामला, एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अपीलांट द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के जरिये अपने केस को विचारण न्यायालय के समक्ष बखूबी साबित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। रेस्पोडेंट्स राजस्व रेकर्ड एवं अपीलाधीन आदेश की आड. में वादग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। इस कारण अपीलांट को अपूरणीय क्षति हो रही है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्रस्तुत अभिलेख एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 जनवरी 2019 को अपास्त किया जावे एवं माफिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक वादग्रस्त आराजी का पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा वक्त खरीद से मौके पर काबिज काश्त है। अपीलांट के पिता हाउराम द्वारा रुपयों की जरुरत होने पर रेस्पोडेंट संख्या एक को वादग्रस्त आराजी का बेचान किया है। अपीलांट स्वयं द्वारा उनके पिता के सामने प्रतिफल राशि प्राप्त की है। ग्राम तिलवासनी में वादग्रस्त आराज के अलावा पुश्तैनी भूमियां आई हुई है, जिसमें अपीलांट का उसमें अपने पुश्तैनी हिस्से से अधिक हिस्सा प्राप्त है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक को परेशान करने के उद्धेश्य से वाद प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र तथ्यों से साबित नहीं होने पर विधिसंम्मत रूप से खारिज किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 823 रकबा 13.15 बीघा का पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट के पिता हाउराम के नाम से खसरा नं. 467, 472, 473, 615, 514, 649, 711 की अन्य भूमियॉ उनकी खातेदारी में रही है जो अपीलांट को पुश्तैनी रूप से प्राप्त हुई। अदालत हाजा रेस्पोडेंट संख्या एक के इस कथन से सहमत है कि अपीलांट को वादग्रस्त आराजी में उसके निहित पुश्तैनी हिस्से से अधिक हिस्सा अन्य पुश्तैनी भूमियों से प्राप्त हो चुका है। जहां तक अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में पुश्तैनी हिस्से का प्रश्न है, वह मूल वाद में जरिये साक्ष्य तय होना है। ऐसी स्थिति में रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओ पर अपना विस्तृत मत रखते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष मे नहीं पाये जाते है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 33/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00101) बअनवान मंगलाराम बनाम आसूराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2019 यथावत रखा जाता है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह अपने समक्ष विचाराधीन मूल वाद का विधिक प्रक्रिया के तहत शीघ्र निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर